भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3493
मंगलवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर पंप</u>

3493. श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने राज्यों को स्वयंसक्षम सौर पंप उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना की शुरूआत से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश में स्वीकृत और स्थापित स्वयंसक्षम सौर पंपों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा देश में अधिक से अधिक ऐसे पंप सेट स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर मंत्रालय ने राज्यों को 12.29 लाख स्वयंसक्षम (स्टैण्डअलोन) सौर पंप आवंटित किए हैं। अब तक, देश में 7.5 लाख पंप स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य से योजना के घटक-ख के अंतर्गत स्वयंसक्षम सौर पंपों के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन में तथा पंपों की स्थापना की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न सक्रिय पहल की हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:-

- जनवरी, 2024 में योजना दिशानिर्देशों का सरलीकरण,
- राज्यों को उनकी राज्य निविदाएं करने की अनुमति देना,
- किसानों को कम लागत पर आसानी से वित्त उपलब्ध कराने के लिए घटक-ख को कृषि अवसंरचना निधि में शामिल करना,
- देश भर में स्वीकृत क्षमताओं एवं पंपों की स्थापना में तेजी लाने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा करना।

*****